

प्रेषक,

अनिल संत,  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,  
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक:

03/12/11  
नवम्बर, 2011

विषय-अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कॉलेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को प्राइवेट बी०टी०सी० के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कॉलेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राइवेट बी०टी०सी० के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा शासनादेश संख्या-1833/15-11-2010, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2010-11 में 50 सीटों के लिए एक वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत संस्था के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19.10.2011 में की गयी संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-12 में एक वर्ष के लिए सम्बद्धता बनाये रखने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अनिल संत)  
सचिव।

.....2.....



संख्या-2498(1)/15-11-2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198 कावेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेडियम) जयपुर।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4- सचिव/प्रबन्धक, अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कॉलेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)

अनु सचिव।



प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,  
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2013

विषय- श्री अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, जौनपुर को शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए वी०टी०सी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समय-समय पर विचारोपरान्त श्री अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, जौनपुर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राइवेट वी०टी०सी० के संचालन हेतु दी गयी सम्बद्धता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राप्त एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों के अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होते ही 15 दिन के भीतर अपनी वेब-साइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19-12-2012 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर प्रश्नगत संस्थान को सत्र 2012-13 के लिए 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,  
  
(राम विशाल मिश्र)  
विशेष सचिव।

संख्या- 392 (1) / 15-11-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198 कावेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेडियम) जयपुर।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- सचिव/प्रबन्धक, श्री अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, जौनपुर।
- 5- सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(अशोक कुमार सिंह)  
अनु सचिव।



**कार्यालय, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद**

आदेश सं०/निजी बी०टी०सी०/ 75 /2010-11

दिनांक 16, दिसम्बर, 2010

**सम्बद्धता आदेश**

शासनादेश सं० 2115-15-11-09-1499(184)/2002 दिनांक 25.11.2009 एवं शासनादेश सं० 85-15-11-2010 दिनांक 18.01.2010 के परिप्रेक्ष्य में निजी शिक्षण संस्थाओं को बी०टी०सी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में अपने आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो आपके संस्थान को शैक्षिक सत्र 2010-11 से सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तदनुसार निरीक्षण पैनल की आख्या के आधार पर शासनादेश सं० 1833/15-11-2010 शिक्षा अनुभाग-11 दिनांक 30.11.2010 तथा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के पत्रांक रा०शै०/निशिसं०/23670/2010-11 दिनांक 01.12.2010 के अनुक्रम में अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा शाहगंज, जौनपुर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राइवेट बी०टी०सी० के संचालन हेतु दी गई मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2010-11 से एक वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

1. संस्थान द्वारा लगातार प्रभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मान्यता के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा क्री समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 के कार्यवृत्त में संस्था के सम्बन्ध में इंगित की गयी तालिका की अपूर्ण शर्त संख्या - 7,15,20 एवं 23 की पूर्ति संस्था द्वारा माह अप्रैल, 2011 तक कर सम्बद्धता बनाये रखने/अग्रिम सत्र के पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।



(2)

7. उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी। उपरोक्त का निराकरण कर एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली, एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद को अतिशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें तथा सम्बन्धीकरण शर्तों के सम्बन्ध में लिखित सहमति प्रस्तुत करें।

*m. shivshartri*  
(भावना शिक्षार्थी) 1612-10  
सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ0प्र0, इलाहाबाद।  
13/12/10

पू0सं0 शि0स0/निजी बी0टी0सी0/143-43/2010-11

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय समिति ए-46 शांतिपथ तिलक नगर जयपुर(राजस्थान)।
9. प्रबन्धक/सचिव, अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा शाहगंज, जौनपुर।
10. संयुक्त शिक्षा निदेशक बनारस, मण्डल मण्डल।
11. प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर।
12. गार्ड फाइल।

*m. shivshartri*  
(भावना शिक्षार्थी)  
सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ0प्र0, इलाहाबाद।



पंजीकृत

कार्यालय: सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आदेश संख्या/सम्बद्धता/ 226

/2017-18

दिनांक 21 जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1088/15-11-2017 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ, दिनांक 30.05.2017 द्वारा निजी संस्थान अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, खाता सं० 38, प्लॉट सं० 868, 408, 69, 870, 980, 981 ग्राम-मजडीहा, पोस्ट-शाहगंज, तह०-शाहगंज, जौनपुर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50 सीट)की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.05.2017 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर डी०एल०एड० ( बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट ( 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

डा०(श्रीमती) सुत्ता सिंह  
सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं०/सम्बद्धता/ 4279-86 /2017-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि- 11, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005(राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान- गाजीपुर।
7. सचिव/प्रबन्धक अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, खाता सं० 38, प्लॉट सं० 868, 408, 69, 870, 980, 981 ग्राम-मजडीहा, पोस्ट-शाहगंज, तह०-शाहगंज, जौनपुर।
8. गार्ड फाइल।

डा०(श्रीमती) सुत्ता सिंह  
सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।



प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,  
उप सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,  
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2016

विषय- निजी संस्थान अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जनपद-जौनपुर को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जनपद-जौनपुर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राप्त एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव।

संख्या- (1)/15-11-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जनपद-जौनपुर।
- 6- गार्ड फाइल।

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव।



**कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद**

आदेश सं०/शि०स०/निजी बी०टी०सी०/सम्बद्धता/ 28 /2011-12 दिनांक 26/11/12

**सम्बद्धता आदेश**

शासनादेश सं० 2498/15-11-2011 शिक्षा अनुभाग-11, लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कॉलेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राइवेट बी०टी०सी के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा शासनादेश सं० 1833/15-11-2010 दिनांक 30, नवम्बर, 2010 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2010-11 में 50 सीटों के लिए एक वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत संस्था के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19.10.2011 में की गयी संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-12 में एक वर्ष के लिए सम्बद्धता बनाये रखने का निर्णय लिया गया है -

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

अतः उपरोक्त का निराकरण कर एन०सी०टी०ई० नई दिल्ली, एस०सी०ई०आर०टी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा अगले सत्र की सम्बद्धता पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

*P. Shivcharan*  
(भावना शिक्षार्थी) 23.12.11

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।



(2)

पृ०सं० / शि०स० / सम्बद्धता / १०९-२० / 2011-12 तद्दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद।
4. शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक), उ०प्र०, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, एन०सी०टी०ई०, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय समिति ए-46 शांतिपथ तिलक नगर जयपुर (राजस्थान)।
9. संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर।
11. प्रबन्धक/सचिव, अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कॉलेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर।
12. गार्ड फाइल।

M. Bhu. Chaurhi

(भावना शिक्षार्थी) 23.12.11

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।



उत्तर प्रदेश शासन  
शिक्षा अनुभाग-11  
संख्या- 1890 /15-11-2013  
लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2013

शुद्धि पत्र/कार्यालय ज्ञाप

श्री अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए प्रदान की गयी सम्बद्धता विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-392/15-11-2013, दिनांक 11 फरवरी, 2013 में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त शासनादेश में अंकित "शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए" के स्थान पर "शैक्षिक सत्र 2012-13 से" पढ़ा जाए।

उक्त शासनादेश संख्या-392/15-11-2013, दिनांक 11 फरवरी, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2013 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

(अशोक कुमार सिंह)  
अनु सचिव।

संख्या- 1890(1)/15-11-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ईस मवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।
- 3- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 5- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
- 6- सचिव/प्रबन्धक, श्री अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

ह0  
(अशोक कुमार सिंह)  
अनु सचिव।

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद

पू0सं0 / शि0स0 / सम्बद्धता / 5096-5104 / 2013-14 तददिनांक 11-07-13  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर।
8. सचिव, श्री अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा शाहगंज, जौनपुर।
9. गार्ड फाइल।

(श्रीमती) नीना श्रीवास्तव  
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ0प्र0, इलाहाबाद

10/7/13



कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/सम्बद्धता/ 270

/2016-17 दिनांक: 13.04 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 773/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 24.06.2016 द्वारा निजी संस्थान अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जनपद-जौनपुर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)  
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पू०सं० /सम्बद्धता/ 4475-82 /2016-17 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर।
7. प्रबन्धक/सचिव अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जनपद-जौनपुर।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)  
सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ०प्र०, इलाहाबाद।



प्रेषक,

अनिल संत,  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,  
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2010

विषय-रिट याचिका संख्या-4771/2010 अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा शाहगंज, जौनपुर बनाम उ०प्र० राज्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.02.2010 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-4771/2010 अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा शाहगंज, जौनपुर बनाम उ०प्र० राज्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.02.2010 के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा शाहगंज, जौनपुर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राइवेट बी०टी०सी० के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए एक वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध

५१

.....2.....



(2)

कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

- (6) राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 के कार्यवृत्त में संस्था के सम्बन्ध में इंगित की गयी तालिका की अपूर्ण शर्त संख्या-7, 15, 20 एवं 23 की पूर्ति संस्था द्वारा माह अप्रैल, 2011 तक कर सम्बद्धता बनाये रखने/अग्रिम सत्र के पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

अनिल संत  
सचिव।

संख्या- 1833 (1)/15-11-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 3- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शांतिपथ तिलक नगर, जयपुर।
- 4- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा शाहगंज, जौनपुर।
- 6- निजी सचिव, मा० मंत्री, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी०पी० सिंह)  
अनु सचिव।



**TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4**

File No. NRC/NCTE/NRCAPP-3768, 2842, 2846, 3091, / 233<sup>rd</sup> Part -IV) Meeting/

Dated:

189572  
**RECOGNITION ORDER**

MAR 2015  
13 MAR 2015  
13 MAR 2015

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its 233<sup>rd</sup> meeting from February 18, 2015 (Part-IV) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a)/15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2015-2016 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No	File No.	Name of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP 3768	Sri Vikrama Singh Lalita Singh Memorial Teachers Training Academy Plot No. 206, Khasara NO. 206, Street Number- na, Village/Town- Amnaway, Post office- Mahuja Newada, Tehsil/Taluka- Phoolpur, Town/City- Azamgarh, State- UP, District- Azamgarh (UP), Pin Code -276301.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
2.	NRCAPP 2842	Abdul Aziz Ansari Degree College, Khata No.38, Plot/Khasara No.868, 40,869, 870, 980,981, Vill- Majdeeha, Post Office - Shahganj, Tehsil- Shahganj, State- UP, Distt- Jaunpur, Pin Code-223101.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
3.	NRCAPP 2846	Shri Ram Degree College, Plot/ Khasara No.729,135,044,720, Plot No. 0, Street Number-0, Vill- Adampur Nigoh, Post Office Barsathi, Teh/Taluka- Mariyahu, Town/City- Mariyahu, Dist- Jaunpur, State-UP, Pin Code- 222612.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
4.	NRCAPP 3091	GS BTC Training College, Plot/ Khasara No- 32min, Vill- Naudad Tiwari, Post Office- Labnapur, Tehsil- Basti Sadar, Distt- Basti, Pin Code- 272002, UP.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

- (i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time. The Institution shall fulfil the revised Norms relating to infrastructure, instructional facilities, enhanced amount of Endowment and Reserve Fund, Number and qualifications of Teaching Staff, Curriculum and implementation strategies in view of the change in duration/intake of programme(s) offered in the institution within the time limit allowed by NCTE.



- (ii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
- (iii) The institution shall comply with the condition as laid down in the clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 which provided that "An institution which has been recognized by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency approved by Council within five year of such recognition."
- (iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- (v) As per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 the following norms have been prescribed for staff/ qualifications/administrative and professional staff/terms and conditions of service etc.

**NORMS AND STANDARDS FOR BACHELOR OF EDUCATION PROGRAMME LEADING TO THE BACHELOR OF EDUCATION (D.EI.ED.) DEGREE – Regarding Staff**

**5. Staff**

**5.1 Academic Faculty**

For an intake of up to two basic units of 50 students each, the Faculty strength shall be 16. The Principal or HOD is included in the faculty. The distribution of faculty across subject areas may be as under:

1. Principal / HoD	One
2. Perspectives in Education/Foundations of Education	Three
3. Science	Two
4. Humanities & Social Sciences	Two
5. Mathematics	Two
6. Languages	Three
7. Fine Arts/Performing Arts	Two
8. Health and Physical Education	One

- Note: (i) If the students' strength for two years is one hundred only, the number of faculty shall be reduced to 8. The faculty in specialised areas and some of the pedagogic courses can be shared with the other teacher education programmes.
- (ii) Faculty can be utilized for teaching in a flexible manner so as to optimize academic expertise available.

**5.2 Qualifications**

**A. Principal / HOD**

- (i) Postgraduate degree in Sciences / Social Sciences / Arts/ Humanities with minimum 55% marks, and M.Ed./ M.A (Education) /M.El., Ed with minimum 50% marks.
- (ii) Five years teaching experience in a Teacher Education Institution.

Desirable : Degree/ Diploma in Educational Administration / Educational Leadership.

**B. Perspectives in Education/ Foundation of Education; & Curriculum and Pedagogy**

Teacher Education in D.El.Ed. should have Masters Degree in Social Science/ Humanities/ Science/ Maths/ Language with 50% marks, and M.Ed with 50% Marks or M.A (Education) with 50% marks [except (two) positions where the requirement shall be Postgraduate in Philosophy/Sociology/Psychology with 50% marks and B.El.Ed. or B.Ed. or D.El.Ed. with 50% marks, or M.Phil/ Ph. D in Education]

**C. Physical Education**

- (i) Masters degree in Physical Education (M.P.Ed.) with minimum 50% marks.

**(D) Visual and Performing Arts**

- (i) Masters degree in Fine Arts/ Music/ Dance/ Theatre with 50% marks.

**5.3 Administrative and Professional Staff**

**(a) Number**

- (i) UDC/Office Superintendent One
- (ii) Computer Operator-cum Store Keeper One
- (iii) Computer Lab Assistant One  
(BCA/ B.Tech with Computer Science)
- (iv) Librarian (With B. Lib) One



**(b) Qualifications**

As prescribed by State Government /UT Administration Concerned.

Note : In a composite institution, the Principal and academic, administrative and technical staff can be shared. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs.

**5.4 Terms and Conditions of Service**

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

The institutions shall adhere to the fulfilment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014 and ensure the following before commencement of the session:-

- (a) The institution which have submitted reply to Letter of Intent and appointed staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2009 with the approval of the affiliating body shall be required to modify/replace the required faculty as per provisions of the NCTE Regulations, 2014. The institution shall be required to submit the compliance report before the commencement of the session 2015-16.
  - (b) As per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 an institution is allowed/permitted to take two units at a time of a teacher education programme. Accordingly, the faculty requirements have been laid down for two units of the programme in the Regulations 2014 i.e. for 200 students in the first and the second year. However, those institutions whose applications are pending if opt for one unit i.e. 100 students in the first and second year, the requirement of faculty shall be reduced to eight out of which five lecturers i.e. one each for Science, Social Studies, Mathematics and two for Languages and one Health and Physical Education lecturer and one Performing/Visual Art Lecturer, and one Principal or Head of the Department shall be appointed. One of the lecturers may possess post graduation degree in Psychology/Philosophy/Sociology if the Principal/Head of the Department possesses PG degree in one of the school subjects.
  - (c) The institutions having applied for D.El.Ed. course are being granted recognition for one unit only, as the application made by the institution was for an intake of 50 students.
    - (i) The institutions whose applications were pending with the Regional offices before 1.12.2014 (the date of notification of Regulations, 2014), shall be considered for recognition as standalone institutions but they shall move gradually to become a composite institution but not later than 2016-17.
    - (ii) As per the guidelines issued by the NCTE Hq vide letter No. 51-4/2014/NCTE/N&S dated 24th December, 2014 the institutions shall be required to fulfil the requirement of additional staff, infrastructure by 31st October, 2015 in case recognition has been granted for two units of B.Ed. course. However in respect of B.Ed. programme, under new Regulations, 2014, there is a change in basic unit size and required infrastructure, staff pattern etc., the NRC shall cause inspection of the institution by 29 Feb., 2016 for ascertaining the fulfilment of infrastructure facilities. If the institution fails to comply with these requirements, the permission given for one basic unit out of two basic units shall be withdrawn.
4. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.
5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.
6. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-
  - (i) Copy of the Application Form
  - (ii) Land and Building Particulars
  - (iii) Staff Profile
  - (iv) Recognition letter
  - (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.
7. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on






the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

8. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

9. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website [www.ncte.india.org](http://www.ncte.india.org) within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.


  
(Dr. I.K. Mansoori)  
Regional Director

Encl:- As above

The Manager to Govt. of India,  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110 054

**Copy to:-**

1.	Sri Vikrama Singh Lalta Singh Memorial Teachers Training Academy Plot No. 206, Khasara NO. 206, Street Number- na, Village/Town- Amnaway, Post office-Mahuja Newada, Tehsil/Taluka- Phoolpur, Town/City- Azamgarh, State- UP, District- Azamgarh (UP), Pin Code -276301.	
2.	Abdul Aziz Ansari Degree College, Khata No.38, Plot/Khasara No.868,40,869,870,980,981, Vill- Majdeeha, Post Office - Shahganj, Tehsil- Shahganj, State- UP, Distt- Jaunpur, Pin Code-223101.	
3.	Shri Ram Degree College, Plot/ Khasara No.729,135,044,720, Plot No. 0, Street Number-0, Vill- Adampur Nigoh, Post Office Barsathi, Teh/Taluka- Mariyahu, Town/City- Mariyahu, Dist- Jaunpur, State- UP, Pin Code- 222612.	
4.	GS BTC Training College, Plot/Khasara No- 32min, Vill- Naudad Tiwari, Post Office- Labnapur, Tehsil- Basti Sadar, Distt- Basti, Pin Code- 272002, UP.	
5.	The Principal Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, (Basic Education Department), Sachiv Bhawan, Lucknow - 226001, Uttar Pradesh	with a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above.
6.	The Director, SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh	<i>with a request to ensure that admission are made by the institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.</i>
7.	The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001	
8.	The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.	
9.	Computer Section of NRC, NCTE, Jaipur for upload the same of NRC website.	
10.	Office order file/ Institution file.	

  
Regional Director




BTC Course.

- (c) The institutions shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- (d) The institutions shall within one month of the receipt of the Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five Years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an authorized official of the Regional Committee.
- (e) That the Reserve Fund for an amount of Rs. Three Lakhs be maintained in the form of FDR in favour of the managements / institutions.
- (f) Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government etc.
- (g) The institutions shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.
- (h) The institutions shall regularly update their website.
- (i) The institutions intending to run the teacher training programme approved above in a rented premises are required to shift to their permanent building. They are required to submit report in compliance of the requirement of NCTE Regulations on the subject.

5. The formal order of recognition for every institution shall follow separately.

6. If any of the institutions contravene any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and / or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17 (1) of the NCTE Act, 1993. The NCTE Hqrs. may also cause inspections under Section 13 of NCTE Act, 1993.

By Order,

  
(Dr. B. Krishna Reddy)  
Regional Director

Contt. 3



F.NRC/NCTE/F-7/8382

Dt.14.11.2006

**ORDER**

The 06 (Six) institutions mentioned in para 3 below submitted applications to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition to BTC or equivalent course in terms of Section 15(1) of NCTE Act, 1993, among others.

2. The NRC at its 109<sup>th</sup> meeting (second sitting) and 110<sup>th</sup> meeting held on 10<sup>th</sup> November, 2006 and 11<sup>th</sup> - 12<sup>th</sup> November, 2006 at NCTE Hqrs. New Delhi, considered applications of the institutions included in the Agenda for the meeting and after careful examination of relevant documents, Visiting Team Reports, Video Recording, Original File etc. found the institutions mentioned in para 3 below fit for grant of recognition of the courses and intake mentioned against their names.

3. Now, therefore, in exercise of powers vested under Section 15(3)(b) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to these institutions w.e.f. the session 2006-2007 for the course and intake mentioned against their names and addresses shown as under:-

S.No.	Name and address of the institution	Course	Approved intake
1	Kisan P.G. College, Post - Ratsar, Ballia, Uttar Pradesh. (UP-1766)	BTC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
2	R.V. Higher Education & Technical Institute, Vill. - Chithera, Post - Dadri, Distt. - Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh. (UP-1663)	BTC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
3	Abdul Aziz Ansari Degree College, Majceaha. Shahganj, Jaunpur, Uttar Pradesh. (UP-2022)	BTC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
4	Subhash Chandra Bose Degree College, Kahli Terwa, Gausganj, Hardoi, Uttar Pradesh. (UP-2057)	BTC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
5	H.L.M.Girls College, 311, Patel Marg, Ghaziabad, Uttar Pradesh. (UP-1589)	BTC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
6	Kevlanand B.Ed. College, Post - Daranagar, Ganj, Bijnor, Uttar Pradesh. (UP-1679)	BTC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.

4. The institutions shall ensure the fulfillment of the following :-

- (a) Selection of qualified staff through duly constituted selection committee as per the norms of NCTE / State Govt. / affiliating body given effect before the commencement of the course.

Cont.. 2



01.11.2009

To,

1. All the institutions concerned.

Copy to :-

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. The Education Secretary, Government of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, Uttar Pradesh.
3. The Director, Secondary Education, Government of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad, U.P. .
4. The Director, SCERT, Govt. of Uttar Pradesh, Nishat Ganj, Lucknow – To ensure compliance of the para 4(a) & (f) of the recognition order.
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi – 110002.
6. The Under Secretary, Computer Section, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi – 110002.
7. Computer Cell, NRC, Jaipur.

(Dr. B.Krishna Reddy)  
Regional Director



**TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION 4**

F.No. NRC/NCTE/NRCAPP-10034/Recognition/D.El.Ed./269<sup>th</sup> Meeting (Part-2) /2017

Dated:-

29 APR 2017

**RECOGNITION ORDER**

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses,

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its 269<sup>th</sup> (Part-2) meeting held from 26<sup>th</sup> April to 02<sup>nd</sup> May, 2017 is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following Institution for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against its name from the academic session 2017-2018 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below: -

Sr. No.	File No.	Name of Institute	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-10034	Abdul Aziz Ansari Degree College, Plot No. 868, 40, 869, 870, 980, 981, Village- Majdeeha, Post Office- Shahganj, Tehshil - Shahganj, Dist.- Jaunpur (UP) 223101	D.El.Ed.	2 year	100 (02 unit)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh.

4. The institutions shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014 and ensure the following before commencement of the session: -

- The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
- The institution shall comply with the condition as laid down in the clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 which provided that "An institution which has been recognized by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency approved by Council within five years of such recognition."
- The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- The Norms of staff/ qualifications/administrative and professional staff/terms and conditions of service etc. shall be as per the provisions of NCTE Regulations, 2014.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised Institution: -

- The affiliating bodies/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-





teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

(ii) The affiliating body shall ensure that the institution is composite institution as per the definition of composite institution given in the NCTE Regulation, 2014. If at any stage, it is found that the institution as not a composite institution, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, in the existing institutions permitted for additional intake, shall have to ensure that they are to become composite gradually preferably the academic session 2016-17.

(iii) The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution, if found fake at any stage, the recognition, granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

7. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

8. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

9. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

10. The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and accepted by MHRD.

11. The Institution shall fill the GIS Application within one month of issue of this order.

12. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website [www.ncte-india.org](http://www.ncte-india.org) within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.

By Order,

(Satish Gupta)

Regional Director (I/C)

The Manager  
Govt. of India Press,  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1.	The Principal, Abdul Aziz Ansari Degree College, Plot No. 868, 40, 869, 870, 980, 981, Village- Majdeeha, Post Office- Shahganj, Tehsil - Shahganj, Dist.- Jaunpur (UP) 223101.
----	---



Northern Regional Committee  
National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

2.	The Manager, Mirza Anwar Baig Charitable Trust, Plot No. 19, Village- Shahganj, Post Office- Shahganj, Tehsil - Shahganj, Dist.- Jaunpur (UP) 223101	
3.	The Principal Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, (Basic Education Department), Sachiv Bhawan, Lucknow - 226001, Uttar Pradesh.	<i>With a request to ensure compliance of the terms &amp; conditions as laid down above.</i>
4.	The Director, SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>With the request to ensure veracity of the NOC &amp; approval of the staff issued to the institution and also ensure that the admission are made by the institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.</i></li> <li>2. <i>With request to affiliate the institution only after the institution has update its GIS Information on the NCTE Website.</i></li> </ol>
5.	The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001	
6.	The US (EDP), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.	
7.	Computer Section of NRC, NCTE, Jaipur for uploading the same on NRC website.	
8.	Institution file	
9.	Guard file.	

*Je/bs*  
Regional Director (I/C)